महत्वपूर्ण एवं खास

गर्मी में हो रहे इजाफे से राजधानी का पारा 33 डिग्री पार

रायपुर (आरएनएस)। फरवरी माह में गर्मी में तापमान में हो रहे इजाफे से ठंड गायब है। फरवरी माह में इस बार तापमान में रिकार्ड तोड़ वृध्दि होने से पिछले 10 साल का रिकार्ड टूटा है। आम तौर पर गर्मी अपना असर फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिखाना शुरू करती है। होली तक मौसम आम तौर पर ठंडा रहता है। आईएमडी मौसम एजेंसी के अनुसार इस बार गर्मी रिकार्ड तोड़ पड़ेगी। राजधानी में आज पारा 33 डिग्री पार हुआ स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार राजधानी का तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं केन्द्रीय मौसम एजेंसी के अनुसार इस बार मार्च में अच्छी गर्मी पड़ेगी। कहीं कहीं पर लू के हालात भी निर्मित होने की संभावना है।

शराब घोटाला मामले में बढ़ी लखमा की मुसीबत, अग्रिम जमानत की याचिका ख़ारिज

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को राहत नहीं मिली है। श्वह्रङ्ख की कोर्ट ने लखमा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। श्वह्रङ्ख की कार्रवाई से बचने के लिए लखमा के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आज बुधवार को फैसला सुनाया है। श्वष्ठ कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। लखमा को 21 जनवरी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। लखमा के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, श्वह्रङ्ख ने स्नढ्ढक्र के आधार गिरफ्तारी की है। कवासी विधायक हैं। गिरफ्तारी से पहले सरकार की मंजूरी लेनी थी। बिना सरकारी अनुमति के पुलिस कार्रवाई कर रही है।

अमित शाह का 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरा

रायपुर (आरएनएस)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह डोंगरगढ़ का दौरा करेंगे, जहां उनका कार्यक्रम पूरी तरह से तय हो चुका है। केंद्रीय गृहमंत्री दोपहर 12.30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद, गृहमंत्री शाह रायपुर एयरपोर्ट से क्चस्स्न के हेलीकॉप्टर के जरिए डोंगरगढ़ के लिए रवाना होंगे। उनके दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के इस दौरे से संबंधित गृहमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें उनके डोंगरगढ़ पहुंचने के बाद के कार्यक्रमों का भी विस्तृत विवरण होगा।

नक्सलियों ने फिर ग्रामीण को उतारा मौत के घाट

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। सुरक्षाबलों की ओर से की जा रही लगातार कार्रवाई के बाद भी नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। छिटपुट घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीत अब नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। माओवादियों ने दंतेवाड़ा जिले में एक ग्रामीण की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला अरनपुर थाना क्षेत्र का है। नक्सलियों ने ककाड़ी गांव के हडमा हेमला की हत्या की है। धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या की गई है। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बता दें कि कल ही बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना इलाके में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया था। मृतकों की पहचान राजू कारम और मुन्ना माडवी के रूप में हुई। नक्सलियों ने दोनों पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का आरोप लगाया था।

नशीली टेबलेट के साथ युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। आजाद चौक पुलिस ने भोईपारा सुलभ के पास दबिश देकर एक्टिवा सवार युवक के पास से 22 पत्ता नशीली टेबलेट जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार आजाद चौक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भोईपारा सुलभ के पास एक्टिवा सवार युवक नशीली टेबलेट को खपाने के लिए ग्राहक तलाश रहे है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी शशांक पांडे 28 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 पीबी 4311 व 22 पत्ता नाइट्रोजन टेबलेट जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25

जिला पंचायत सदस्य के लिए 78 तथा विभिन्न विकासखण्ड में जनपद पंचायत सदस्य के लिए 592, सरपंच के लिए 2266 तथा पंच के लिए 11,743 नाम निर्देशन पत्र किया गया दाखिल

❒ 6 फरवरी को अभ्यर्थी दें सकेंगे नाम वापस

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 हेतु लिए गए नाम निर्देशन प्रक्रिया के तहत जिला पंचायत रायगढ़ में जिला पंचायत सदस्य सहित 7 विकासखण्ड में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी तक जिला पंचायत सदस्य के लिए 78 तथा जिले के विभिन्न विकासखण्ड में जनपद पंचायत सदस्य के लिए 592, सरपंच के लिए 2266 तथा पंच के लिए 11,743 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है।

जिला पंचायत सदस्य के लिए 18, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 159, सरपंच के लिए 550 तथा पंच के लिए 7497 पदों के लिए निर्वाचन होना है। रायगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत रायगढ़ में जिला पंचायत सदस्य के लिए 15, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 91, सरपंच के लिए 385, पंच के लिए 1812 के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है। पुसौर विकासखण्ड अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के लिए 18, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 91, सरपंच के लिए 372, पंच के लिए 1764 के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है। खरसिया विकासखण्ड अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के लिए 12, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 87, सरपंच के लिए 305, पंच के लिए 1975 के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है। घरघोड़ा विकासखण्ड अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के लिए 02, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 60, सरपंच के लिए 168, पंच के लिए 843 के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है। तमनार विकासखण्ड अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के लिए 09, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 66, सरपंच के लिए 241, पंच के लिए 1302 के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है। लैलूंगा विकासखण्ड अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के लिए 09, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 98, सरपंच के लिए 338, पंच के लिए 1653 के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है। धरमजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के लिए 13, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 99, सरपंच के लिए 457, पंच के लिए 2394 के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदान तीन चरण में संपन्न होंगे। तीनों चरणों के लिए 27 जनवरी 2025 से नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तीनों चरणों के लिए 3 फरवरी 2025 नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी। तीनों चरणों में नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 4 फरवरी 2025 को की गई। तीनों चरणों के लिए अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2025 है, निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूचना तैयार कर प्रकाशन करना व निर्वाचक प्रतीकों का आबंटन 6 फरवरी 2025 को ही किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए मतदान एवं मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 17 फरवरी 2025 और खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 18 फरवरी 2025 को की जाएगी। द्वितीय चरण के लिए मतदान एवं मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 20 फरवरी 2025 और खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 21 फरवरी 2025 को की जाएगी। तृतीय चरण के लिए मतदान एवं मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना 23 फरवरी 2025 और खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 24 फरवरी 2025 को की जाएगी।

नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2025 : तैयारी एवं व्यवस्थित संचालन हेतु संयुक्त कलेक्टर राकेश गोलछा नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़। नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2025 के तैयारी एवं व्यवस्थित संचालन हेतु पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। वर्तमान में संयुक्त कलेक्टर राकेश गोलछा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही उन्हें रूट चार्ट, जोन का निर्धारण, सेक्टर अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माईक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति, वाहन प्रभारी की नियुक्ति, मतदान दलों के परिवहन, प्रेक्षकों तथा सेक्टर अधिकारियों इत्यादि अधिग्रहित वाहनों के लिए पीओएल की व्यवस्था करना, वाहन व्यवस्था करना, लॉगबुक तैयार एवं संधारण करना, रूट चार्ट का अनुमोदन एवं पीएलओ पंजी संधारण के संबंध में दायित्व सौंपा गया है।

करोड़ों की गड़बड़ी, संकरी के आरआई-पटवारी पर अपराध दर्ज

बिलासपुर-रायपुर । आरएनएस

सकरी के तत्कालीन पटवारी और वर्तमान राजस्व निरीक्षक के खिलाफ करोड़ो की गड़बड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. आरआई पर विभागीय जांच में 3 करोड़ 42 लाख 17 हजार 920 रुपए की गड़बड़ी करने का खुलासा हुआ है. विभागीय जांच में पता चला कि आरआई के खिलाफ भूमि अधिग्रहण मामले में चार बार विरोधाभासी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था. सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ही खसरा नंबरों में आरआई ने हेरफेर कर प्रशासन को 3.42 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन पटवारी मुकेश साहू ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में हेरफेर करते हुए खसरा नंबर 1/4 रकबा, 0.03 एकड़ को सिंचित और दो फसली बताकर 37.37 लाख रुपए का भुगतान किया और खसरा नंबर 1/6 रकबा 0.62 एकड़ में अवैध तरीके से एक करोड़ रुपया के मुआवजे का भुगतान मनोज अग्रवाल को किया गया. ग्राम सकरी में खसरा नंबर 1,9,10 में हुए बटांकन को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर मर्ज कर भू- नक्शा पोर्टल में मूल नंबर दर्ज किया गया. जिससे जमीन मालिक को नुकसान हुआ. करोड़ों रूपये की गड़बड़ी मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अविनाश शरण ने जांच समिति का गठन कर दिया. इसमें आरआई मुकेश साहू द्वारा 3 करोड़ 42 लाख 17 हजार 920 रुपए की गड़बड़ी करने की पुष्टि हुई. जिसके बाद कलेक्टर ने एसडीएम तखतपुर को स्नढ्ढक्र दर्ज कराने के निर्देश दिए. आरआई मुकेश साहू के खिलाफ सकरी थाना में धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (कूटरचना), 468 (धोखाधड़ी हेतु कूटरचना), 471 (जालसाजी दस्तावेज का इस्तेमाल), 409 (सरकारी धन का गबन) और 120बी (षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में फरार मुकेश साहू की तलाश में पुलिस जुट गई है.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक के पिता पर भी कार्यवाई

❒ फरार आरोपी को झारखंड के गढ़वा से घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़

घरघोड़ा पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और शारीरिक शोषण के मामले में फरार चल रहे आरोपी जाफर खान के पिता सहाजुद्दीन खान (60 वर्ष), को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को संरक्षण देने वाले उसके पिता पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया है।

मामला 9 मई 2024 का है, जब घरघोड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अपराध क्रमांक 167/2024 धारा 363 भादंवि के तहत विवेचना की। छानबीन के दौरान 23 दिसंबर 2024 को गढ़वा, झारखंड से गुमशुदा बालिका को आरोपी जाफर खान के घर से बरामद किया गया। इस दौरान आरोपी और उसके परिजन फरार हो गए थे। बालिका की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसका बयान दर्ज कराया गया और काउंसलिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 376(2)(ढ), 342, 34 भादंवि और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी।

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी जाफर खान ने अपने माता-पिता की मदद से 7 मई से 22 दिसंबर तक नाबालिग को अपने कब्जे में रखा और उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस को मिली मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी के पिता सहाजुद्दीन खान (60 वर्ष), निवासी गढ़वा (झारखंड) को दबिश देकर हिरासत में ले लिया गया। प्रकरण में साक्ष्य अनुरूप धारा 342 भादवि हटाकर 344 भादवि जोड़ा गया है। आरोपी ने पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और रिमांड पर भेज दिया गया।

एसपी दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर इस कार्रवाई में थाना प्रभारी घरघोड़ा रामकिंकर यादव, सहायक उपनिरीक्षक रामसंजीवन वर्मा, विल्फ्रेड मसीह और हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

सेक्टर अधिकारियों तथा मास्टर ट्रेनर्स को ईवीएम कमिशनिंग का दिया गया प्रशिक्षण

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2025 के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों तथा मास्टर ट्रेनर्स को आज जिला कार्यालय सभा कक्ष में अधिकारियों को उनके दायित्व एवं मतदान प्रक्रिया तथा ईवीएम मशीन की कमिशनिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर रवि राही, एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी तथा नोडल अधिकारी निर्वाचन डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल ने सेक्टर अधिकारियों को उनके मतदान केंद्रों में उपलब्ध सुविधाएं, मतदान केंद्रों के पहुंच मार्ग, रूट चार्ट, आदर्श आचरण संहिता का सेक्टर क्षेत्र में पालन, मतदान दिवस के पूर्व दिवस पर मतदान दलों द्वारा सामग्री प्राप्त किए जाने, मतदान दलों के मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदान पूर्व की तैयारी तथा मतदान दिवस के दिन सेक्टर अधिकारियों के महत्वपूर्ण दायित्वों का विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस के दिन उन्हें प्रत्येक 2 घंटे की रिपोर्टिंग रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान प्रतिशत के संबंध में करनी होगी। मास्टर ट्रेनर विकास सिन्हा एवं अनिल गुप्ता ने सभी सेक्टर अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स को ईवीएम मशीन के संचालन तथा कमिशनिंग के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रवि राही ने सभी उपस्थित सेक्टर अधिकारियों को मतदान दिवस पर वार्ड वार अतिरिक्त ईवीएम मशीन रखने तथा आवश्यकता पडऩे पर तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।

नगरीय निकाय निर्वाचन-2025

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों का किया गया रेण्डमाईजेशन

रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन-2025 हेतु प्रेक्षक के.डी.कुंजाम, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम मशीनों का रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस अवसर पर सभी रिटर्निंग ऑफिसर उपस्थित रहे।

जिला कार्यालय के सृजन सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त ईवीएम मशीनों का रेण्डमाईजेशन किया गया। इस दौरान जिले के नगरीय निकायों के समस्त मतदान केन्द्रों के लिए मशीनों का रेण्डमाईजेशन किया गया। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बताया कि जिले में 606 सीयू तथा 954 बीयू उपलब्ध है। नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं समस्त नगर पंचायत के कुल 141 वार्डों के 265 मतदान केन्द्रों के लिए 265 सीयू तथा 286 बीयू की आवश्यकता होगी। साथ ही रिजर्व सहित 584 सीयू एवं 655 बीयू उपलब्ध करवाया जा रहा है। नगर निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 24, 25, 36, 40, 42 एवं 47 में पार्षद पद के अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक से अधिक बीयू का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी समीर बड़ा, निर्वाचन शाखा से सुरेन्द्र पंडा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ बना म्यूल अकाउंट का हब : साइबर जालसाजों ने खड़ी की कंपनी, 5000 खाते ब्लॉक

रायपुर । आरएनएस

साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने वाले जालसाजों के लिए मनी पार्किंग करने छत्तीसगढ़ सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। केंद्रीय गृहमंत्रालय की रिपोर्ट पर रायपुर के साथ दुर्ग, राजनांदगांव साइबर पुलिस ने म्यूल अकाउंट के माध्यम से पिछले दो माह के भीतर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा साइबर ठगी की रकम छत्तीसगढ़ के अलग-अलग लोगों के बैंक अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर होने का खुलासा किया। रायपुर में बाकायदा जालसाजी का पैसा ठिकाने लगाने कंपनी बनाई गई थी। साइबर जालसाजों की रकम सुरक्षित करने कंपनी बनाने का देश में संभवत: पहला मामला है। एएसपी क्राइम संदीप मित्तल के अनुसार रायपुर के विभिन्न बैंकों में खोले गए पांच हजार से ज्यादा संदिग्ध म्यूल अकाउंट की पहचान कर ब्लाक कराने का काम किया गया। इनमें कई ऐसे बैंक अकाउंट हैं, जिसमें खाता धारक का नाम तो है, लेकिन धरातल पर उसके बारे में बैंक अफसरों तक को जानकारी नहीं है।

खास खबर साइबर पुलिस ने रायपुर के साथ दुर्ग तथा राजनांदगांव में कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के रास्ते ठगों के अकाउंट में विदेश में पैसा ट्रांजेक्शन होने के प्रमाण मिले हैं। म्यूल अकाउंट मामले में रेंज साइबर पुलिस चार बैंक कर्मी सहित अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी तरह से दुर्ग पुलिस ने 23 राजनांदगाव पुलिस ने चार लोगों को म्यूल अकाउंट मामले में गिरफ्तार किया है। म्यूल अकाउंट का इसलिए बना हब छत्तीसगढ़ के म्यूल अकाउंट हब बनने की जो वजह निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक पूर्व में महादेव सट्टा की रकम ठिकाने लगाने किराए पर बड़े पैमाने पर बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे। इसके बाद से साइबर ठग ने छत्तीसगढ़ में अलग-अलग लोगों से संपर्क कर ठगी की रकम ठिकाने लगाने बड़े पैमाने पर म्यूल अकाउंट खुलवाने का काम किया। पुलिस को आशंका है कि राज्य के अलग-अलग जिलों में हजारों की संख्या में जालसाज अब भी म्यूल अकाउंट के माध्यम से ठगी की रकम का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं।

फर्जी कंपनी खोलकर 429 करोड़ ठिकाने लगाए

देश के अलग-अलग राज्यों में ऑनलाइन ठगी की घटना को अंजाम देने वाले जालसाजों की रकम को ठिकाने लगाने दिल्ली के शातिर संदीप रात्रा तथा रायपुर निवासी राजवीर सिंह ने धमतरी रोड स्थित प्रोग्रेसिव पाइंट में सीए की मदद से क्रोमा शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी के नाम से फर्जी कंपनी खड़ी की। फर्जी कंपनी खोलने के बाद जालसाजों ने अलग-अलग लोगों के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाकर देश के अलग-अलग राज्य से साइबर ठगी के 429 करोड़ रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कराए। इसके बाद उन ठगी की रकम को फॉरेक्स ट्रेडिंग के माध्यम से सिंगापुर तथा थाईलैंड ट्रांसफर कर चीन में बैठे हैंडलर के पास भेजने का काम किया।

इसलिए लालच में फंस रहे लोग

उस अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहा जाता है, जिसमें किसी दूसरे के अकाउंट से मनी लांड्रिंग सहित ठगी की रकम तथा अनैतिक गतिविधियों से प्राप्त रकम का ट्रांजेक्शन किया जाता है। शातिर लोगों को उनके अकाउंट किराए पर लेने के एवज में मोटी रकम कमीशन देने का झांसा देकर खाताधारक के अकाउंट, बैंक पासबुक, चेक के साथ एटीएम अपने कब्जे में लेकर अपने हिसाब से अकाउंट का दुरुपयोग करते हैं।

कंबोडिया से हो रहा था संचालन

राजनांदगाव एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पोर्टल पर राजनांदगांव पुलिस की सराहना की गई है। राजनांद?गांव पुलिस ने एक अभियान चलाकर चार आरोपियों को पकड़ा है। कंबोडिया से फर्जी अकाउंट का संचालन हो रहा था, ऐसे 80 अकाउंट की पहचान की गई है। अब तक 10 करोड़ की ठगी के मामले का खुलासा हुआ है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480